जे.एल.एन. रोड पर महात्मा गांधी सर्किल पर लगे 4 फाउंटेन भी लंबे समय से बंद

राजधानी जयपुर के इस वीवीआईपी रूट से रोजाना मंत्रियों, अधिकारियों और मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है

- कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर निगम प्रशासन की लापरवाही और उद्यान शाखा के अफसरों की चहेते ठेकेदारों पर मेहरबानी के कारण राजधानी जयपुर में वी.वी.आई.पी. जवाहरलाल नेहरू रोड स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर लगे चारों फव्वारे लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। यही हाल 39 पार्कों में लगे 42 फव्वारों में से अधिकांश का है। इतना होने के बावजूद भी निगम प्रशासन ठेकेदार के काम की जांच करवाने को तैयार नहीं है। यहां तक फर्म को ना तो कभी नोटिस दिया और ना कोई एक्शन लिया। उल्टा भुगतान के लिए बिल भी पास कर दिया।

हैरानी की बात यह है कि, जेएलएन रोड, राजधानी जयपुर का वीवीआईपी रूट है। यहां से रोजाना मंत्रियों, अधिकारियों और मेहमानों का आना-जाना होता है। परंतु राजधानी की शोभा बढ़ाने वाले ये फव्वारे रखरखाव के अभाव में आज सिर्फ सजावटी ढांचे बनकर रह गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक ठोटर निगम की उद्यान शाखा द्वारा शहर के 39 पार्कों में लगाए गए करीब 42 फव्वारे

जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर लगे चारों फव्वारे लंबे समय से बंद पड़े है।

में से अधिकांश धूल फांक रहे है। पहले तो करोडों रुपये खर्च कर इन पार्कों को आधुनिक बनाने और बच्चों को मनोरंजन की सुविधाएँ देने का दावा किया गया था, पर निगम के अफसरों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण इनकी दुर्दशा हो रही है।

सूत्रों के मुताबिक, निगम प्रशासन ने फव्वारों के रखरखाव का ठेका गत वर्ष मैसर्स हजारीलाल जसवाल को 70-80 लाख रुपये में दिया था। परंतु ठेकेदार ने वीवीआईपी रूट जे.एल.एन रोड की भी सुध नहीं ली। अन्य पार्कों के फाउंटेन भी उजाड़ कर रख दिया। इस गंभीर लापरवाही के बावजूद निगम प्रशासन ने न तो ठेकेदार को नोटिस दिया और न ही तकनीकी जांच कराई। इसके विपरीत, अब इस फर्म को पूरा भुगतान करने की तैयारी चल रही है। जबकि इस फर्म को मालवीय नगर जोन में 14, मानसरोवर में 6, सांगानेर में 2, जगतपुरा में 1, झोटवाड़ा में 4, मुरलीपुरा में 9 तथा विद्याधर नगर के 3 पार्कों में फव्वारे का रखरखाव और संचालन करना था। सूत्रों के मुताबिक

- **यही हाल ठोटर निगम के 39 पार्क में लगे 42 फव्वारों में से अधिकांश का है इस धांधली के उजागर होने बावजूद भी उद्यान शाखा, ठेकेदार के काम की जांच करवाने और उसे नोटिस देने को तैयार नहीं है उल्टा भुगतान के लिए बिल भी पास कर दिया**

हैरिटेज नगर निगम ने भी वर्ष 2023 और 2024 में करीब 3 करोड़ से ज्यादा की रकम सभी जोन के पार्कों और जय निवास उद्यान में फाउंटेन के रख रखाव पर खर्च कर डाले। परंतु वहां भी यह ठेका लेने वाली फर्म ने कोई विशेष कार्य नहीं किया। इस कारण वहां भी अधिकांश फव्वारे बंद पड़े हैं।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से की भेंट

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र से अनुदान राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के मानदेय में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि वे और अधिक समर्पण के साथ अपना कार्य कर सकें।उपमुख्यमंत्री ने राज्य में बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए नए सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) कार्यालयों की स्वीकृति कराने का आग्रह किया।

''निराश्रित गोवंश मुक्त भारत अभियान''की मुख्य सचिव ने की सराहना

जयपुर। पर्यावरण संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के क्षेत्र में युगांतकारी कार्य कर रही संस्था ''टीम गौमाया'' की अद्वितीय पहल को आज एक और प्रखर संबल प्राप्त हुआ। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने टीम गौमाया के ''निराश्रित गोवंश मुक्त भारत अभियान'' की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इस पुनीत कार्य में शासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन प्रदान किया।

यह भेंटवार्ता हाल ही में मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को निराश्रित गोवंश के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में हुई। इस अवसर पर ''गोमय परिवार अंशदानी फाउंडेशन'' के संस्थापक, डॉ. सीताराम गुप्ता ने मुख्य सचिव के समक्ष अभियान की विस्तारपूर्वक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी दौरान उन्होंने अपनी गोसंवर्धन पर लिखित एक अनूठी पुस्तक भी मुख्य सचिव को ससम्मान भेंट की। इस पुस्तक की विश्वव्यापी विशेषता यह है कि यह भारतीय नस्ल की गाय के गोबर से बने कागज पर मुद्रित दुनिया की पहली पुस्तक है, जिसे वर्ष 2022 में अमेज़न बेस्ट सेलर के सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है।

इस गरिमामय अवसर पर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ( ) के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रख्यात समाजसेवी सुरेश पाटोदिया ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने इस अभियान को 'युग की मांग' निरूपित करते हुए इसके सफलतम क्रियान्वयन हेतु अपना पूर्ण समर्पण, संरक्षण एवं सहयोग देने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।

3 हजार 200 करोड़ रुपये स्वीकृत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में हर बच्चे को सुलभ, आधुनिक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों से केन्द्र सरकार ने समठा शिक्षा, राजस्थान के लिए 3 हजार 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।शर्मा द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में समठा शिक्षा, राजस्थान के लिए केन्द्रीय अंश की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने समठा शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3 हजार 200 करोड़ रुपये राज्य को देने के लिए सहमति प्रदान की है, साथ ही, इस राशि की प्रथम किस्त शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया है। मुलाकात के दौरान शर्मा ने समठा शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति एवं भविष्य में किये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी।

बरी होने से पूर्व न्यायिक अभिरक्षा में काटी अवधि का वेतन और परिलाभ देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में कांस्टेबल के दो साल जेल में बंद रहने के बाद बरी होने के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह कांस्टेबल को इस अवधि का वेतन और समस्त परिलाभ अदा करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने इस अवधि को याचिकाकर्ता का अवैतनिक अवकाश मानने के विभाग के आदेश को रद्द कर दिया है।

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश हरभजन सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल को 21 अगस्त, 2000 को दुष्कर्म व एससी,एसटी एक्ट के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं सक्षम अधिकारी ने उसी दिन उसे निलंबित कर दिया।

वहीं अप्रैल, 2021 में उसके खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच भी आरंभ की गई। दूसरी ओर मामले में पुलिस की ओर से आरोप पत्र पेश करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर याचिकाकर्ता को एक अगस्त, 2002 को याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। इसी आधार पर विभाग ने 11 सितंबर, 2002 को उसका निलंबन भी रद्द कर दिया।

फिल्म निर्देशक फरहान अखतर को दिया कानूनी नोटिस

जयपुर। एजेएफ अहीर जनजागृति फाउंडेशन के द्वारा फिल्म 120 बहादुर में अहिर समाज के वीरों की शहादत को नजर अंदाज करने पर फिल्म के निर्देशक फरहान अखतर को शहादत का अपमान करने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया है। अहीर जनजागृति फाउंडेशन की राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मंजु यादव ने बताया कि 18 नवबंर 1962 को माइनस 10 डिठी तापमान में दीपावली की रात भारत-चीन युद्ध में 120 वीर अहीरों की टुकडी चूसूल घाटी में तैनात थी। जैसे ही सेना मुख्यालय द्वारा चीनी सेना के हमले की सूचना पोस्ट कर कहा गया कि आप लोग अपनी जान बचाने के लिए स्वेच्छा से पोस्ट से पिछे हट सकते है।

इसके बाद 120 वीर अहिरों ने मेजर शैतान सिंह को अपने सामूहिक फैसले से अवगत करवाया की वो पोस्ट से पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध लड़ेगे। जब युद्ध लड़ते-लड़ते असला गोला बारूद खत्म होने के पश्चात् वीर अहिरों ने अपनी जान की परवाह किये बिना चीनी सैनिको को बन्दूको के बटों से चाकूओं से चट्टानों से भिड़ाकर व अपनी भुजाओं का पराक्रम दिखाते हुए 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस युद्ध में 120 में से 114 वीर अहिर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय सेना की इस टुकडी के अदभ्य साहस को देखकर चीनी सेना द्वारा ब्रेवहर आफ द ब्रेव अहीर नाम से नवाजा गया। दूसरी तरफ फिल्म निर्देशक फरहान अख्तार की कंपनी ऐक्सेल इन्टरटेन्मेंट प्रा. लिमिटेड के बेनर तले बन रही फिल्म 120 बहादुरों में सेना के आधिकारिक रिकॉर्ड से परे युद्ध की सच्चाई को छुपाकर तोड़ मरोड़ कर फिल्म बनाई जा रही है। जो वीर शहिदों का अपमान है।

अहीर जनजागृति फाउंडेशन (एजेएफ) की मांग है कि फिल्म 120 बहादुर रिलीज से पहले समाज के प्रबुद्ध जनों के सामने फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएं तथा सेना के रिकॉर्ड में दर्ज इस युद्ध के तथ्यों को निर्देशक फरहान अख्तर पुष्टि करके अपनी फिल्म में बदलाव करके 6 विश्व की महानतम लड़ाइयों में से एक के वीर शहिदों को सम्मान स्वरूप सच्ची श्रद्धांजलि देवे तथा सेना के रिकॉर्ड से 120 वीर शहिदों के फ़ोटो फिल्म की शुरूआत में वर्णन नाम सहित दिखाये जाये।

इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यादव, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विपिन यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राव तेजवीर यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजीत यादव, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश यादव, सरपंच सूरज यादव, संरक्षक बालू राम यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

यूज़र चार्ज के विरोध में 247 मंडियों के 2000 व्यापारी एकजुट, प्रदेशभर में व्यापार ठप

जयपुर। यूज़र चार्ज के विरोध में प्रदेशभर के व्यापारियों ने आज जोरदार विरोध दर्ज कराया। जयपुर खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ, राजस्थान व्यापार संघ तथा किराना, तेल, पशुआहार, मसाला आदि विभिन्न व्यापारिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में कूकरखेड़ा मंडी परिसर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में राजस्थान की 247 मंडियों से जुड़े लगभग 2000 व्यापारी शामिल हुए और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए यूज़र चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की।

बैठक का नेतृत्व राजस्थान खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चंद्र अठावाल, किराना व्यापार संघ के कैलाश चंद्र अटोलिया, सूरजपोल अध्यक्ष केदारनाथ अठावाल, दाल मिल अध्यक्ष पवन अठावाल तथा राजस्थान संघ के मंत्री लक्ष्मीनारायण डंगायच सहित अनेक व्यापारियों ने किया। जयपुर खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ कूकरखेड़ा के पदाधिकारियों - रामचरण नाटानी (अध्यक्ष), अविनाश जैन (मंत्री), घासीराम अठावाल (उपाध्यक्ष), नितिन बटवाडा (उपाध्यक्ष), सतीश पापड़ीवाल (सहमंत्री) एवं सुशील अठावाल (सहमंत्री) उपस्थित रहे।

विभिन्न व्यापारिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में कूकरखेड़ा मंडी परिसर में बैठक आयोजित हुई।

व्यापारियों ने कृषि कल्याण टैक्स और आयातित माल पर मंडी टैक्स का भी विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार द्वारा मंडी के अंदर व्यापार करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों पर यूजर चार्ज लागू करना अनुचित है, जबकि मंडी के बाहर व्यापार करने वालों को इससे छूट दी गई है। इससे प्रदेशभर में व्यापार ठप हो गया है और किसान-व्यापारी दोनों में आक्रोश व्याप्त है।

आदेश के अनुसार अब मंडी एवं उप-मंडी यार्डों के भीतर गैर-अधिसूचित कृषि उपज एवं खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपये के लेन-देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देना होगा। इस शुल्क से केवल शक्कर को बाहर रखा गया है, जबकि दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, ड्राई फ्रूट्स समेत अधिकांश खाद्य वस्तुएँ इसके दायरे में लाई गई हैं।

- **बैठक में राजस्थान की 247 मंडियों से जुड़े लगभग 2000 व्यापारी, यूज़र चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग**

व्यापारियों ने इसे नियमों में भेदभाव बताते हुए सरकार पर बड़े मॉल्स और बाहरी व्यापारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा।

इग्नू अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन

जयपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की ओर से गुरुवार को एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापोल, जयपुर में इग्नू अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर की सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉ. ममता भाटिया, विशिष्ट अतिथि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉ. राममूर्ति मीणा तथा इग्नू काउंसलर डॉ. राम भजन कुमावत उपस्थित रहे।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. हेमंत पारीक ने अतिथियों का स्वागत किया और छात्राओं को इस अवसर पर अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. ममता भाटिया ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थी एक साथ एक से अधिक डिठी, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे में इग्नू द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक हैं, जिनमें परीक्षा केंद्र चुनने की स्वतंत्रता पूरे भारत में उपलब्ध है। डॉ. राममूर्ति मीणा ने इग्नू के उद्देश्यों, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विविध पाठ्यक्रमों की जानकारी दी।

70 दिन से चल रही पीडब्ल्यूडी संवेदकों की हड़ताल समाप्त

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से गुरूवार को पीडब्ल्यूडी संवेदकों द्वारा लगभग 70 दिन से जारी हड़ताल समाप्त हो गई। आपसी सहमती से तैयार किए गये समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद संवेदक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हमने संवेदकों द्वारा उठाई गई मांगो पर सकारात्मक चर्चा करके उनके सकारात्मक समाधान के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास को प्राथमिक लक्ष्य रखकर हम सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखकर आगे बढ रहे हैं।

इससे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी प्रवीण गुप्ता के कक्ष में संवेदक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर उन्हें समझौता पत्र सौंपा । पदाधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यों की निविदाओं में जीएसटी को अलग कर निविदाएं आमंत्रित करने, सीमेंट कंकरीट सड़क निर्माण कार्यों में पीक्यूसी की मोटाई 20 सेमी तक के कार्यों के लिए डीएलपी (गारंटी अवधि) 5 वर्ष रखने सहित विभिन्न बिन्दुओं पर सहमति बन गई है।इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं जिसमे संवेदकों के दो प्रतिनिधि एवं विभाग के अधिकारी शामिल होंगे ।

उन्होंने कहा कि हम सरकार की इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग करेंगे।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से मुख्यमंत्री शर्मा की मुलाकात

देवनानी ने भी मुख्यमंत्री शर्मा का भारत के चक्रवर्ती सम्राट पुस्तक भेंट कर अभिनन्दन किया।

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुरुवार को यहां सिविल लाइन स्थित उनके राजकीय निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। देवनानी और शर्मा की यह मुलाकात लगभग 1 घंटे 10 मिनट की रही।विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोलहवीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र से संबंधित विभिन्न विधायी कार्यों और राज्य से संबंधित विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की। यह मुलाकात सत्र से पहले परंपरा अनुसार शिष्टाचार भेंट थी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने देवनानी को दुपट्टा पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। देवनानी ने भी मुख्यमंत्री शर्मा का दुपट्टा पहनाकर, पुष्प गुच्छ और भारत के चक्रवर्ती सम्राट पुस्तक भेंट कर अभिनन्दन किया। देवनानी ने शर्मा को अयोध्या के राम मंदिर का प्रसाद ठाहण कराया।

प्रदेश में स्थापित होगी 'लैंग्वेज लैब'

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवाओं को सही दिशा देकर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है। साथ ही, युवाओं को सशक्त बनाकर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

इसी दिशा में राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 'लैंग्वेज लैब' स्थापित की जाएगी।

लैंग्वेज लैब में युवाओं को अंठोजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे इन भाषाओं में पारंगत बन सकें और उनके लिए विदेशों में रोजगार की राह प्रशस्त हो सके।

लैंग्वेज लैब में युवाओं को मिलने वाले विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से उनके कौशल में बढ़ौतरी होगी। यह पहल युवाओं को विदेशों के साथ ही देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कारगर साबित होगी।

सरकार 9-10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 आयोजित करेगी

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9-10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। दो दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस भी आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा यह साझेदारी सम्मेलन, विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक औद्योगिक गठबंधनों और साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के साथ राजस्थान की साझेदारियों को भी सुदृढ़ करेगा। पिछले वर्ष आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

सम्मेलन के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और नए निवेश के उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएँगे। सम्मेलन के दौरान युवा एवं महिला तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ऊर्जा एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित कई विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएँगे। साझेदारी सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए निवेशक रोड शो की श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में राष्ट्रीय रोड शो के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो भी शामिल है।

- **पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर निवेशक रोड शो आयोजित किए जाएँगे**

पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले, राजस्थान के विकास में खनन एवं पेट्रोलियम तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों की भूमिका पर प्रकाश डालने वाले पूर्व-शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाएँगे।जैसा कि मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष आयोजित वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान घोषणा की थी, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।

यह समारोह न केवल प्रवासी राजस्थानी समुदाय को एक साथ आने और अपनी साझा पहचान का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने और राज्य के समठा विकास में निवेश करने का एक मंच भी प्रदान करेगा। एक दिवसीय प्रवासी दिवस में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि राज्यों के प्रवासी वक्ता शामिल होंगे और दो विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएँगे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी समुदाय द्वारा अर्जित प्रसिद्धि का सम्मान करते हुए और राजस्थान के विकास में उनके योगदान का जश्न मनाते हुए, सरकार प्रमुख प्रतिभागियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार ( ) भी प्रदान करेगी। यह पुरस्कार व्यवसाय, विज्ञान, कला, उद्योग, परोपकार, समाज सेवा, संगीत और अन्य क्षेत्रों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भी प्रतिभागियों को प्रदान किया जाएगा।

खरीदी गई जमीन पर की जा रही बाउण्ड्री वॉल गिराया

उदयपुर। खरीदी गई जमीन पर बनाई जा रही बाउण्ड्री वॉल को जमीन के पीछे के अन्य जमीन मालिकों ने रास्ते की मांग को गिराने का मामला सामने आया है। मदनलाल पुत्र मोतीलाल डांगी निवासी घासा ने रिपोर्ट दी कि मैने ग्राम पंचायत बिठोली में रामचन्द्र पुत्र हिरालाल ब्राम्हाण निवासी विठोली से जमीन खरीदी थी। हमने हमारी जमीन पर बाउंड्री का काम शुरू किया। जिसका काम 5-6 दिन से चल रहा था। 19 अगस्त शाम को लखा पुत्र अमरा, भैरू , देवीलाल पुत्र नारू, उंकार पुत्र नारूलाल निवासी तुरकिया व दो अन्य आए और मजदूरों को काम करने से रोक दिया।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के संयुक्त जनरल मैनेजर पर 25 हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश की पालना नहीं करने को गंभीर मांगा है। अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना चलन बन चुका है। इसके चलते हाईकोर्ट में सैकड़ों अवमानना याचिकाएं भी लंबित चल रहे हैं। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आम जनता का न्यायालय और लोकतांत्रिक ढांचे से विश्वास उठ जायेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त मैनेजर-एचआर पर अधिकरण की ओर से लगाई गई पांच हजार रुपए की हर्जाना राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपए करते हुए इसकी कटौती उसके वेतन से करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर मामलों को मुकदमेबाजी के दूसरे राउंड में खींचा।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त जनरल मैनेजर-एचआर एस सूर्यनारायण व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिए। मामले से जुड़े अधिवक्ता अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकरण ने अपीलार्थी फाइनेंस मैनेजर राहुल विजय के ट्रांसफर मामले में स्पीकिंग आर्डर पारित नहीं करने पर अथॉरिटी के संयुक्त जनरल मैनेजर पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया था। इस आदेश की पालना करने की बजाय संयुक्त जनरल मैनेजर व अन्य ने इसे हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा। इस पर याचिकाकर्ता ने अदालत में पेश होकर माफी मांगी। वहीं अदालत ने हर्जाना राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया।

स्कूल जाती नाबालिग से छेड़छाड

जयपुर। सदर थाना इलाके में एक नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मनचले की अश्लील टिप्पणी से परेशान छात्रा ने स्कूल जाना बंद दिया। जानकारी मिलने के बाद भाई ने मनचले का विरोध किया तो मनचले आशिक ने पीड़िता के घर पर पत्थर फेंके। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर नाबालिग पीड़िता ने इस मामले में पुलिस की मदद ली और थाने पहुंच आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज।